घुसपैठियों को भारत घुसने नहीं देंगे : शाह

- जितना कीचड़ उछालोगे उतना कमल खिलेगा
- पीएम मोदी और उनकी मां से माफी मांगें राहुल

पटना/गुवाहाटी, 29 अगस्त. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को राहुल गांधी की बिहार में वोटर अधिकार यात्रा को घुसपैठिया बचाओ यात्रा करार देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को कांग्रेस जितना अधिक गाली देगी देश में कमल उतना ही अधिक खिलेगा.

शाह ने गुवाहाटी में नये राजभवन के उद्घाटन के अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, ऐसे समय में जब विश्व के 27 देशों ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है कांग्रेस एवं गांधी परिवार हमेशा प्रधानमंत्री को गाली देने की कोशिश कर रहे हैं. शाह ने बिहार की एक रैली में प्रधानमंत्री मोदी की मां के बारे में अपशब्द कहे जाने के लिए कांग्रेस की निंदा करते हुए कहा कि गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने नया निचला स्तर प्राप्त कर लिया है.

कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प

पटना, 29 अगस्त. शुक्रवार को राजनीतिक टकराव का केंद्र बन गई. राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान एक कथित विवादित बयान का वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पटना स्थित कांग्रेस कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया, जो बाद में हिंसा में बदल गया. बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी की रैली में पीएम मोदी और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया, जिसके विरोध में वे शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे. लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कथित रूप से पथराव शुरू कर दिया.

> केंद्रीय गृहमंत्री शाह ने कहा, बिहार में राहुल ने जो यात्रा शुरू की है वह घुसपैठिया बचाओ यात्रा के अलावा और कुछ नहीं है. यह यात्रा वोट बैंक और घुसपैठियों को बचाने के लिए है. जब घुसपैठिए मतदाता सूची में शामिल हो जाएंगे तो देश कैसे सुरक्षित रह सकता है? शाह ने कहा कि बिहार में कांग्रेस की रैली ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं. उन्होंने कांग्रेस नेता से बिना शर्त माफी मांगने का भी आग्रह किया. गृहमंत्री ने मोदी सरकार के 11 वर्षों को असम के इतिहास का स्वर्णिम काल बताया.

पीएम मोदी को दी 'दारुमा गुड़िया'

प्रधानमंत्री जापान की यात्रा पर है

टोक्यो/नई दिल्ली, 29 अगस्त, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों जापान की आधिकारिक यात्रा पर हैं, जहां वह 15वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं.

इस दौरान उन्हें एक अनोखा और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध तोहफे में दारुमा गुड़िया भेंट की गई. यह केवल एक पारंपरिक खिलौना नहीं, बल्कि आत्म विश्वास, पुन: प्रयास और लक्ष्य प्राप्ति का प्रतीक है.दारुम जी मंदिर के मुख्य पुजारी रेवरेंड सेशी हिरोसे ने प्रधानमंत्री मोदी को दारुमा गुड़िया भेंट की. दारुमा जापान का एक प्रतिष्ठित सांस्कृतिक प्रतीक और स्मृति चिन्ह है.

> टोक्यो पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया. प्रवासी भारतीयों से संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि भारत-जापान संबंधों की असली ताकत लोग ही हैं. उन्होंने प्रवासियों को भारत और जापान के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक पुल बताया. साथ ही जापानी समुदाय के लोगों ने गायत्री मंत्र और अन्य मंत्रों का पाठ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया. प्रधानमंत्री मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा के बीच हुई वार्ता के बाद साझा बयान जारी किया गया. दोनों देशों ने डिजिटल नवाचार, सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में व्यापक सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई.

'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' को मंजूरी

नई दिल्ली,29 अगस्त. बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुक्रवार को कैबिनेट बैठक में 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' को मंजूरी दे दी. योजना के तहत राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की प्रारंभिक आर्थिक सहायता दी जाएगी.

> **नीतीश ने हॉकी कप का शुभारंभ किया:** हॉकी के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से बिहार के विभिन्न जिलों और देश के विभिन्न राज्यों में ट्रॉफी गौरव यात्रा निकाली गई थी. सात सितंबर को होने वाले फाइनल मैच तक कुल 24 मैच खेले जाएँगे. कार्यक्रम के पूर्व राजगीर खेल परिसर में निर्माणाधीन क्रिकेट स्टेडियम का मुख्यमंत्री कुमार ने स्थल निरीक्षण किया. सीएम ने निर्माणाधीन राजगीर स्टेडियम के निर्माण कार्य की प्रगति एवं अद्यतन स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति एवं उपलब्ध कराई जानेवाली सुविधाओं की जानकारी ली.

अधिकारियों के अनुसार आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी और सितंबर से ही लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे पैसे (डीबीटी) भेजे जाएंगे. महिला द्वारा शुरू किए गए कार्य का छह महीने बाद मूल्यांकन होगा. यदि परिणाम सकारात्मक रहे तो सरकार उनकी मदद बढ़ाते हुए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी उपलब्ध कराएगी. महिलाओं को बाजार तक पहुंच देने के लिए सरकार गांवों, कस्बों और शहरों में हाट-बाजार भी स्थापित करेगी, ताकि वे अपने उत्पाद और सेवाएं आसानी से बेच सकें. सरकार का मानना है कि यह कदम रोजगार के नए अवसर, परिवार की आय में वृद्धि और पलायन में कमी लाने में मदद करेगा. जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि 2005 से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को मजबूत करने के कई कदम उठाए हैं. जिनमें सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण और जीविका समूहों का विस्तार शामिल है.

ट्रम्प प्रशासन ने यूक्रेन को 3,350 ईआरएएम की बिक्री को दी मंजूरी

वाशिंगटन, 29 अगस्त. ट्रम्प प्रशासन ने यूक्रेन को 3,350 विस्तारित रेंज अटैक म्यूनिशन (ईआरएएम) मिसाइलों की बिक्री को मंजूरी प्रदान की है जो कीव को एक संभावित शक्तिशाली उपकरण प्रदान करेगा क्योंकि वह रूस के लगातार हमले का सामना कर रहा है. एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रस्तावित 82.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर की बिक्री की घोषणा ऐसे समय में की गई है जब युद्ध को समाप्त करने के कूटनीतिक प्रयासों का अभी तक कोई परिणाम नहीं निकला है. इस महीने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के साथ अलग-अलग मुलाकात के बाद की गई. यद्यपि ट्रम्प प्रशासन ने मौजूदा हथियारों के लिए उपकरणों की बिक्री को मंजूरी प्रदान की है लेकिन ट्रम्प यह प्रशासन द्वारा यूक्रेन को नए हथियारों की पहली बड़ी बिक्री की घोषणा है.

कर्मियों ने खेल को बढ़ावा देने की ली शपथ

वेकोलि में राष्ट्रीय खेल दिवस पर आयोजन

नागपुर, 29 अगस्त. वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड (वेकोलि) में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर, कर्मियों ने स्वयं को शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और भावनात्मक रूप से संतुलित बनाने तथा खेल को बढ़ावा देने की शपथ ली.

राष्ट्रीय खेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में निदेशक (वित्त) बिक्रम घोष ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को यह शपथ दिलाई. कार्यक्रम में निदेशक डॉ. हेमंत शरद पांडे विशेष रूप से उपस्थित रहे. इस अवसर पर महाप्रबंधक, विभागाध्यक्ष, अधिकारी एवं कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे.

खेल दिवस के उपलक्ष्य में वेकोलि में 29 से 31 अगस्त तक खेल एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने तथा जीवन में खेलों को अपनाने के उद्देश्य से सभी क्षेत्रों में विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी. इस मुहिम का समापन 31 अगस्त को सभी क्षेत्रों में साइकिल रैली के साथ होगा.

ईरान पर यूएन प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया शुरू

न्यूयॉर्क, 29 अगस्त (वार्ता) फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम के लिए उस पर संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध फिर से लगाने की प्रक्रिया शुरू की है.

एक रिपोर्ट के अनुसार, तथाकथित स्नैपबैक प्रतिबंधों को लागू करने का अमेरिका ने स्वागत किया है जो कि ईरान के बढ़ते परमाणु कार्यक्रम पर लगाम लगाने के कूटनीतिक प्रयासों में आई रुकावट के बीच हुआ है. तेहरान ने इस कदम की निंदा की है और चेतावनी दी है कि प्रतिबंधों को दोबारा लागू करने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं. ई3 देशों ने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को सूचित किया कि वे स्नैपबैक तंत्र को सक्रिय कर रहे हैं जिसके अंतर्गत 2015 के ईरान परमाणु समझौते में पहले हटाए गए सभी संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों को फिर से लागू किया जाएगा. इस तंत्र को उस समझौते के भाग के रूप में शामिल किया गया था जिसे औपचारिक रूप से संयुक्त व्यापक कार्य योजना (जेसीपीओए) कहा जाता है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा 2018 में अमेरिका को इस समझौते से बाहर निकालने के बाद ईरान ने परमाणु समझौते का तेजी से उल्लंघन किया है. फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के विदेश मंत्रियों ने कल एक संयुक्त बयान में कहा, आज, ईरान द्वारा जेसीपीओए का गैर-अनुपालन स्पष्ट रूप से एवं जानबूझकर किया जा रहा है और ईरान में प्रमुख प्रसार संबंधी चिंताजनक स्थल अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) की निगरानी से बाहर हैं.

> बयान में आगे कहा गया, ईरान के पास अपने उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार के लिए कोई नागरिक औचित्य नहीं है इसलिए उसका परमाणु कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए एक स्पष्ट खतरा बना हुआ है. ईरान के विदेश मंत्रालय ने इस कदम की निंदा करते हुए इसे उत्तेजक एवं अनावश्यक प्रसार करार दिया जिसका उचित जवाब दिया जाएगा. मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ई3 का निर्णय आईएईए के साथ ईरान की बातचीत एवं सहयोग की चल रही प्रक्रिया को गंभीर रूप से कमजोर करेगा.

आज का इतिहास

- 1874 जापान ने इंग्लैंड की तर्ज पर डाक बचत प्रणाली शुरू की।
- 1874 जापान ने अपनी डाक बचत प्रणाली की शुरुआत की, जो इंग्लैंड में इसी तरह की प्रणाली के बाद तैयार की गई थी।
- 1884 स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी के लिए आधारशिला न्यूयॉर्क के हार्बर में बेदलए के द्वीप पर राखी गयी।
- 1891 अमेरिकन एक्सप्रेस ने विश्व की पहला ट्रैवेलर्स चेक जारी किया।
- 1914 अमेरिका में पहली ट्रैफिक लाइट लगाई गई।

दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन सेवा चार घंटे से अधिक समय तक बाधित रही

नई दिल्ली, 29 अगस्त. दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन पर मेट्रो सेवा नयी दिल्ली से पटेल चौक के बीच शुक्रवार सुबह से दोपहर 12 बजे तक बाधित रही. इस दौरान हजारों लोगों को आफिस आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा.

दिल्ली मेट्रो रेल निगम की ओर से यहां जारी एक विज्ञप्ति में बताया गया कि सिग्नल से जुड़ी समस्या के कारण येलो लाइन पर मेट्रो सेवा सुबह करीब साढ़े सात बजे से दोपहर बारह बजे तक बाधित रही. तकनीकी खामी को देखते हुए कश्मीरी गेट से पटेल चौक के बीच ट्रेनों को 25 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से ही चलाना पड़ा, जबकि शेष येलो लाइन पर सेवा सामान्य रूप से जारी रही. इस दौरान यात्रियों को स्टेशन और ट्रेनों के अंदर घोषणा के जरिये तथा सोशल मीडिया के माध्यम से भी सूचित किया गया. डीएमआरसी के तकनीकी और रखरखाव विभाग की टीम ने वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में प्रभावित क्षेत्र में इस खामी को दूर कर सेवाओं को फिर से बहाल किया.

न्यायमूर्ति आलोक व पंचोली ने शपथ ली

नईदिल्ली, 29 अगस्त. भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक अराधे और पटना उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपुल पंचोली को शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद की शपथ दिलाई.

गत 25 अगस्त को उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश के बाद, केंद्र सरकार ने 27 अगस्त को उनकी नियुक्तियों पर सहमति व्यक्त की थी. इन नियुक्तियों के साथ, उच्चतम न्यायालय में कार्यरत न्यायाधीशों की कुल संख्या, स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या 34 तक पहुंच गई है. गुजरात उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहे न्यायमूर्ति विपुल पंचोली की पदोन्नति ने तब सबका ध्यान आकर्षित किया जब ऐसी खबरें आईं कि कॉलेजियम की बैठक के दौरान न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना ने उनके नाम पर असहमति व्यक्त की थी. न्यायमूर्ति पंचोली 28 मई, 2033 तक उच्चतम न्यायालय में कार्यरत रहेंगे. न्यायमूर्ति आलोक अराधे ने अपना न्यायिक करियर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से शुरू किया और फिर कर्नाटक उच्च न्यायालय और जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय में न्यायिक कार्य किया. बाद में वे तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने और फिर उन्हें बॉम्बे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया. उच्चतम न्यायालय में उनका कार्यकाल 2029 तक रहेगा.

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

TATA पंजीकृत कार्यालय : 11वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनिन्सुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोवर परेल मुंबई - 400013. CIN No. U67190MH2008PLC187552. Contact No. (022) 61827414, (022) 61827375
शाखा कार्यालय : 9/1/1, सुरज भवन, दूसरी मंजिल, यस बैंक के उपर, एम.जी. रोड़, इन्दौर -452001.

आधिपत्य सूचना (अचल संपत्तियों के लिये)

(प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के परिशिष्ठ IV सपठित नियम 8(1) के अंतर्गत)

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (12) सपठित नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रवर्तन करके प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निम्न ऋणी(यों) से नीचे उल्लेखित सूचना प्राप्ति दिनांक से **60 दिन** के अंदर ऋण राशि अदा करने की मांग की गई थी। चूंकि ऋणी(यों) ने अदायगी में त्रुटि की है अत: ऋणी(यों) तथा सर्वसाधारण जनता को एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि निम्न अधोहस्ताक्षरकर्ता ने नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा अधिनियम की धारा 13 (4) सपठित उपरोक्त नियमों के नियम 8 के अंतर्गत प्राप्त कर लिया है।
ऋणी(यों) को विशेषत: तथा समस्त जनता को साधारणत: सतर्क किया जाता है कि इन सम्पत्तियों के संबंध में कोई संव्यवहार न करें और यदि कोई संव्यवहार किया गया तो वह **टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** के ऋणी(यों) के समक्ष नीचे दर्शाई गई मांग सूचना दिनांक से ब्याज एवं दण्ड ब्याज, खर्चे, लागत अन्य के अधीन होगा।
ऋणकर्ता का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

क्रं.	ऋण खाता क्रं.	बाध्यताधारीयों/कानूनी वारिसों/कानूनी प्रतिनिधियों के नाम	मांग सूचना अनुसार राशि	मांग सूचना दिनांक / कब्जा दिनांक	कब्जे का प्रकार
1	TCHHL028400 0100351389 & TCHIN0284000 100352741	श्री राहुल मारोठिया (ऋणी), श्रीमती बबिता मारोठिया (सह-ऋणी)	Rs.21,40,102/- & Rs.88,153/-	09-06-2025 / 28-08-2025	सांकेतिक कब्जा
2	TCHHF02840 00100084487	श्री अनिल कुमावत (ऋणी), श्री संजय कुमावत, श्री कमल कुमावत, श्री रामकरण कुमावत एवं श्रीमती पुष्पा बाई कुमावत (सह-ऋणी)	Rs. 1,21,12,037/-	16-06-2025 / 26-08-2025	सांकेतिक कब्जा

(1) **सुरक्षित परिसंपत्तियों/अचल संपत्तियों का विवरण:** अचल संपत्ति प्रकोष्ठ क्रमांक 201 के समस्त भाग एवं अंश, जिसका निर्मित क्षेत्रफल 713 वर्ग फुट (66.26 वर्ग मीटर) है, सनराइज ट्वीन्स 'ब्लॉक-बी' की दूसरी मंजिल पर श्री कृष्णा एवेन्यू फेज-3 के प्लॉट क्रमांक 26 पर निर्मित, ग्राम लिम्बोदी तहसील एवं जिला इंदौर (मध्य प्रदेश) में स्थित है। **चर्तुसीमाएं:-** पूर्व : प्लॉट क्रमांक 27, पश्चिम: प्रकोष्ठ क्रमांक 202, उत्तर: प्रकोष्ठ क्रमांक 204, दक्षिण: रोड

(2) **सुरक्षित संपत्तियों/अचल संपत्तियों/बंधक संपत्तियों का विवरण:**
संपत्ति 1:- सर्वे नं. 718/6/2/2 पैकी की परिवर्तित भूमि कस्बा सांवेर तहसील सांवेर जिला इंदौर (मध्य प्रदेश) स्थित अचल संपत्ति का समस्त एवं शेष भाग, क्षेत्रफल 1400 वर्ग फीट, **चर्तुसीमाएँ:** पूर्व : सिलावटजी की भूमि, पश्चिम: इंदौर उज्जैन फोरलेन रोड, उत्तर: क्रेता का मकान, दक्षिण: सिलावटजी परिवार की भूमि
संपत्ति 2:- सर्वे नं. 718/6/2/2 पैकी की परिवर्तित भूमि कस्बा सांवेर तहसील सांवेर जिला इंदौर (म. प्र.) स्थित अचल संपत्ति का समस्त एवं शेष भाग, क्षेत्रफल 1050 वर्गफीट, **चर्तुसीमाएँ:** पूर्व : उक्त सर्वे नं. की शेष भूमि, पश्चिम : इंदौर उज्जैन रोड, उत्तर : रूपेश की भूमि, दक्षिण : उक्त सर्वे नं. की शेष भूमि

दिनांक : 30-08-2025 हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : इन्दौर (म.प्र.) वास्ते टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

नगर पालिक निगम, इन्दौर

कार्यालय कार्यपालन यंत्री (जलप्रदाय)
संधारण खंड क्रमांक-2, नर्मदा परियोजना मूसाखेड़ी, इन्दौर
E-mail: ee2_narmada@rediffmail.com, Phone: 0731-2712846

निविदा सूचना क्रमांक: 30/2024-25/नर्मदा.परि/न.पा.नि. — **ऑनलाइन निविदा आमंत्रण सूचना** — इन्दौर, दिनांक: 28.08.2025

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाइट https://mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

क्र.	टेण्डर क्रमांक जारी दिनांक	कार्य का नाम	कार्य की समयावधि	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं EMD
01 चतुर्थ आमंत्रण	2025_UAD_447674_1	Tender for Empanelment of Agency for Construction of Water Hydrant at Different areas of Zone 1 to 22 of Indore city.	12 Months	1. ₹5,000/- 2. ₹10,000/-

1.	निविदा प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की अंतिम दिनांक	:	10.09.2025, 17:30 बजे तक
2.	निविदा ऑनलाइन खोलने की दिनांक (ENVELOPE A/B)	:	12.09.2025

नोट: निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाइन https:/mptenders.gov.in की वेबसाइट पर ही किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

कार्यपालन यंत्री (जलप्रदाय) नगर पालिक निगम, इन्दौर

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड

Aadhar Housing Finance Ltd
कार्पोरेट कार्यालय : युनिट नं. 802, नटराज रुस्तमजी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एवं एम.वी. रोड़, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई - 400069.
इंदौर अन्नपूर्णा शाखा: ऑफिस नंबर 101, मकान नंबर 154, प्लॉट नंबर 145, प्रथम मंजिल, वार्ड नंबर 71, द्रविड़नगर, एयू बैंक के ऊपर, कैट रोड के अंदर, रणजीत हनुमान मंदिर के पास, इंदौर (मध्य प्रदेश)

आधिपत्य सूचना परिशिष्ट 4 (अचल संपत्ति हेतू)

जबकी, **आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (AHFL)** के प्राधिकृत अधिकारी के तौर पर सिक्युरीटाइजेशन एंड रिकंस्टक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एण्ड इंफोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इंटस्ट एक्ट 2002 एवं सिक्युरिटी इंटस्ट (इंफोर्समेन्ट) नियम 2002 का नियम 3 के साथ सपठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्त सूचना प्राप्ति के 60 दिवस में नीचे सूचना में वर्णित राशि का पुर्नभुगतान करने के लिए ऋणकर्ताओ/प्रतिभूतिकर्ताओं को मांग सूचना (ए) जारी की थी। ऋणकर्ताराशि का पूर्नभुगतान करने में असफल रहे है, सिक्युरिटी इंफोर्समेन्ट नियम 2002 के नियम 8 के साथ सपठित उपरोक्त कानून की धारा 13 के सब-सेक्शन (4) के अंतर्गत के साथ प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ऋणकर्ता(ओ)/प्रतिभूतिकर्ता(ओ) एवं सामान्य जनों को सार्वजनिक रूप में सूचित किया जाता है वर्णित संपत्ति पर अधोहस्ताक्षरकर्ता ने अधिगृहण कर लिया है। धरोहर संपत्ति के एवज में संपत्ति को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय सीमा पर कानून की धारा 13 का सब सेक्शन (8) के प्रावधानों पर ऋणकर्ताएं ध्यान देवे। ऋणकर्ता को विशेष रूप में एवं सामान्य जनो को सार्वजनिक रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि संपत्ति के साथ कोई व्यवहार न करें एवं संपत्ति के साथ कोई व्यवहार नीचे वर्णित राशि के साथ शेष देय ब्याज के लिए AHFL के शुल्क के विषयानुसार होगी।

क्रं.	ऋणकर्ता(ओ)/प्रतिभूतिकर्ता(ओ) (शाखा का नाम)	धरोहर संपत्ति विवरण (अचल संपत्ति)	मांग सूचना का दिनांक एवं राशि	आधिपत्य का दिनांक
1	(लोन कोड नं. 17300000275 / इंदौर अन्नपूर्णा शाखा) स्वर्गीय गिरीश रघुवंशी (कानूनी उत्तराधिकारी के माध्यम से प्रतिनिधित्व) (ऋणी) दीपिका रघुवंशी (सह-ऋणी) महेन्द्र सिंह रघुवंशी (जमानतदार)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, प्लॉट नं. सी-37 पार्ट 1 विद्या पैलेस छोटा बांगड़दा साईं मंदिर छोटा बांगड़दा रोड, इंदौर, मध्य प्रदेश - 452006 **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व - प्लॉट नं. सी-37 (पार्ट 2) का शेष भाग, पश्चिम- प्लॉट नं. 36, उत्तर - अन्य प्लॉट, दक्षिण- कॉलोनी रोड	06-06-2025 एवं ₹ 5,85,361/-	28-08-2025

स्थान : मध्य प्रदेश — प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक : 30-08-2025 — आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति देवास जिला-देवास (म.प्र.)

Telephone No.- 7272-255301 Fax No.- ....
E mail add.- dewasmandi@gmail.com

क्रमांक/मंडी/निर्माण/25.26/1301 — देवास दिनांक-13/08/2025

मंडी समिति प्रांगण देवास एवं उपमंडी बरोठा में आर.ओ/वाटर कुलर व एसेसरीज सहित वार्षिक मरम्मत रख-रखाव ठेका हेतु ऑनलाईन निविदा आमंत्रण सूचना

एतद् द्वारा सर्वसम्बधितों को सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मंडी समिति देवास जिला देवास के अन्तर्गत किसानों को शीतल पेयजल की पूर्ति नियमित संचालन हेतु प्रांगण/उपमंडी प्रांगण में स्थापित आर.ओ./वाटर कुलर के मरम्मत एंव रखरखाव कार्य हेतु मंडी समिति के प्रस्ताव 439 क्रमांक दिनांक 10.10.2024 समय-समय पर जारी आदेश-निर्देश के पालन में वार्षिक-रख-रखाव (ए.एम.सी.) एवं लगने वाली स्पेयर एसेसरीज सामग्री सहित ठेका दिया जाना है। इस हेतु ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारी निविदाकारों को म.प्र. शासन के ई-निविदा के पोर्टल http://mptendrs.gov.in/nicgep/app पर प्राप्त होगी जिसका सिस्टम निविदा क्रमांक 2025_MPSAM_444424_1 है। उक्त निविदा से संबंधित समस्त जानकारी मंडी बोर्ड के पोर्टल WWW.mpmandiboard.gov.in पर भी अवलोकनीय होगी।

इस हेतु इच्छुक संस्था अपनी दरें निर्धारित प्रपत्र में आर.ओ./वाटर कुलर व स्पयेर एसेसरीज सामग्री सहित उपरोक्त मंडी बोर्ड के पोर्टल पर दिनांक 20.08.2025 अपलोड करते हुऐ 03 लिफाफा पद्धति अनुसार कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति देवास में दिनांक 09.09.2025 को कार्यालयीन समय में 5. 30 बजे तक पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित कर सकते हैं। प्राप्त निविदा दिनांक 12.09.2025 को अपरान्ह में खोली जावेगी।

आर.ओ./वाटर कुलर के मरम्मत एंव रख-रखाव कार्य हेतु धरोहर राशि रु 50000/- रुपये रहेगी जो एफ.डी.आर. के रूप में रेवेन्यू टिकट पर हस्ताक्षरयुक्त सचिव कृषि उपज मंडी समिति देवास के नाम देय होगी। सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। धरोहर राशि की एफडीआर एवं योग्य पात्रता होने पर ही ऑनलाईन निविदा खोली जावेगी। आवेदन पत्र एवं समस्त शर्तें कार्यालय उपज कृषि उपज मंडी समिति देवास में कार्यालयीन समय में देखी जा सकती है।

नोट:- आवश्यक होने पर उपरोक्त निविदा सूचना से संबंधित किसी भी प्रकार की संशोधन सूचना अथवा अन्य जानकारी उपरोक्तानुसार पोर्टल पर ही प्रदर्शित की जावेगी।

सचिव, कृषि उपज मंडी समिति, देवास, जिला- देवास (म.प्र.) — भार साधक अधिकारी, कृषि उपज मंडी समिति, देवास, जिला- देवास (म.प्र.)

शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फायनेंस कम्पनी लिमिटेड

शुभम्
कॉर्पोरेट कार्यालय - 425, उद्योग विहार फेज- IV, गुडगांव -122015 (हरियाणा)
फोन- 0124-4212530/31/32, ईमेल: customercare@shubham.co, बेवसाईट - www.shubham.co

मांग सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (इसमें आगे 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

यह आपको सूचित किया जाता है कि धरोहर ऋणकर्ता **शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फायनेंस कंपनी लिमिटेड** जिसका पंजीकृत कार्यालय 608, 609, छठवी मंजिल, ब्लॉक-सी अंसल एम्पेरियल टॉवर, कम्युनिटी सेन्टर, नारायणा विहार, न्यू दिल्ली-110028 (इसके पश्चात 'एसएचडीएफसीएल' के रुप में संबोधित) द्वारा आपके ऋण खाते को एनपीए के तौर पर घोषित कर चुका है एवं एसएचडीएफसीएल के आपके ऋण खाते के विरुद्ध संपूर्ण ऋण का भुगतान करने के उत्तरदायी है। आपको उपरोक्त राशि पर अनुबंध दर पर लागू भविष्य ब्याज के साथ प्रासंगिक व्यय, मूल्य, शुल्क आदि का भुगतान करने के उत्तरदायी है।
इसलिए इस सूचना के दिनांक से **60 दिवस** में एसएचडीएफसीएल को आपके संपूर्ण दायित्व का भुगतान करने के लिए आपको बुलाया जाता है असफल रहने पर एसएचडीएफसीएल को कानून की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करने में सक्षम होगी। ऋणकर्ताओं एवं धरोहर संपत्ति का विवरण नीचे दिया गया है -

स. क्र.	ऋण खाता क्रं., ऋणकर्ता (ओं) का नाम	ऋणी का पता	मांग सूचना दिनांक एव राशि	सुरक्षित संपत्ति
1	लोन नं. 0IDR2312000005075673, सोहन सिंह पिता दिवान सिंह, प्रीति सिकरवार	124, अरंडिया बायपास, झालरिया इंदौर, मध्य प्रदेश-452016	11-08-2025 एवं ₹ 8,48,583/-	मकान नं. 124, श्री राम नगर, ग्राम अरंडिया, तहसील सांवेर एवं जिला इंदौर, मध्य प्रदेश- 452001 **क्षेत्रफल:** 1000 वर्गफीट, **चर्तु:सीमा:** पूर्व- जीके ग्रीन्स कॉलोनी, पश्चिम- रोड़, उत्तर- रमेश चंद जायसवाल का मकान, दक्षिण- जगदीश जायसवाल का मकान
2	लोन नं. 0BHP1802000005011084 एवं 0BHP1801000005010851, भास्कर, राजेन्द्र कुमार सोनवाने, रंजना बाई सोनवाने	वार्ड नं. 12 (11) ब्लॉक कॉलोनी, शुजालपुर मंडी, शुजालपुर मध्य प्रदेश-465333	11-08-2025 एवं ₹ 7,44,129/- एवं ₹ 6,16,265/-	प्लाट नं. 61, सर्वे नं. 475 का भाग, ग्राम कस्बा शुजालपुर स्थित, पुराना प.ह.नं. 26 एवं नया 18, नगर पालिका क्षेत्र वाटर वर्क रोड़, शाजापुर, मध्य प्रदेश- 465333, **क्षेत्रफल**- 1250 वर्गफीट, **चर्तु:सीमा:** पूर्व - विक्रेता की भूमि, पश्चिम- सुरज सिंह की भूमि, उत्तर - विक्रेता की भूमि, दक्षिण - दिप्ती कॉन्वेंट स्कूल

स्थान : गुड़गांव — प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक : 29.08.2025 — शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फायनेंस कम्पनी लिमिटेड